उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001
CIN: U40101UP1980SGC005065

संख्या : 64–औ0सं0/उनिलि/2020–14/औ0सं0/2019 दिनांकः 24/01/2020

कार्यालय ज्ञाप

विषय :– उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में शिशिक्षु अधिनियम (Apprentice Act) 1961 के अन्तर्गत 01वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के पदों पर चयन परीक्षा में प्रतिभाग करने पर वरीयता दिये जाने के सम्बन्ध में नीति निर्धारण।

निदेशक मण्डल की 184वीं बैठक जो दिनांक 31.12.2019 को सम्पन्न हुयी थी में निदेशक मण्डल द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र सं0 2226/औ0सं0/2019–4(6)–अप्रे0/78 दिनांक 06.07.2019 के द्वारा शिशिक्षु अधिनियम (Apprentice Act)1961 के अंतर्गत 01 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के पदों पर चयन परीक्षा में प्रतिभाग करने पर वरीयता दिये जाने के सम्बन्ध में नीति को उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में अंगीकृत किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 से शिशिक्षु अधिनियम (Apprentice Act) 1961 के अन्तर्गत 01 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को निगम में सीधी भर्ती के पदों पर चयन परीक्षा में प्रतिभाग करने पर निम्नवत् वरीयता दी जायेगीः–

(a) भर्ती परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में शिशिक्षु अधिनियम के अन्तर्गत प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण करने वाले अभ्यार्थी को अन्य अभ्यर्थी के सापेक्ष वरीयता दी जायेगी।

(b) भर्ती परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में शिशिक्षु अधिनियम के अन्तर्गत पहले प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

(c) भर्ती परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने एवं एक ही वर्ष में प्रशिक्षण पूर्ण किये अभ्यर्थियों से अधिक उम्र के अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

(2) आई0टी0आई0 शिशिक्षुओं एवं अभियन्त्रण स्नातक एवं डिप्लोमाधारी शिशिक्षुओं से समस्त सम्बन्धित कार्यों को कियें जाने हेतु निम्न व्यवस्था लागू की गयी है :–

(c) **आई0टी0आई0 शिशिक्षुओं हेतु**
आई0टी0आई0 शिशिक्षुओं से सम्बन्धित कार्य शिशिक्षु प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत विकसित वेबसाइट www.apprenticeship.gov.in के माध्यम से किया जायेगा।

(d) **अभियन्त्रण स्नातक एवं डिप्लोमाधारी शिशिक्षुओं हेतु**
अभियन्त्रण स्नातक एवं डिप्लोमाधारी शिशिक्षुओं से सम्बन्धित समस्त कार्य शिशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र) की वेबसाइट www.boatnr.org के माध्यम से किया जायेगा।

(3) **आयु सीमा में छूट** :– उत्पादन निगम के अर्न्तगत 01 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 01 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

(4) प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षुओं की सूची तैयार की जायेगी तथा भर्ती परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में शिशिक्षु अधिनियम 1961 के अन्तर्गत पहले प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

O.M.

संख्या : 69 –औ0सं0/उनिलि/2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के निजी सचिव, शक्ति भवन लखनऊ ।
2. निदेशक (कार्मिक)/(वित्त)/(तकनीकी)/(परियोजना एवं वाणिज्य) उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, के स्टाफ आफिसर लखनऊ ।
3. अध्यक्ष, उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
4. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
5. मुख्य अभियन्ता (स्तर–I) अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज ताप विद्युत गृह।
6. मुख्य अभियन्ता (स्तर–I) तापीय परिचालन इकाई उनिलि शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता, पनकी तापीय परियोजना, कानपुर।
8. मुख्य अभियन्ता (स्तर–II) जवाहर पुर तापीय परियोजना, जवाहरपुर एटा।
9. मुख्य अभियन्ता (स्तर–II) आर0 एण्ड एम0 इकाई, उनिलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. मुख्य अभियन्ता(स्तर–II) (मा0सं0)/(जानपद नव परियोजना)/(वाणिज्य)/(पर्यावरण एवं सुरक्षा)/(ईंधन)/(पी0पी0एम0एम0)/(न्यू कोल ब्लाक)/(प्रगति) उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0,लखनऊ।
11. अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0–01/03/04/05/06/टा0वा0से0)/(प्रशिक्षण) उनिलि।
12. उप महाप्रबन्धक (मा0सं0–02) उनिलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. अधिशासी अभियन्ता (रिफार्म), उनिलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

भवदीय,

24/01/2020

(मो0 तस्नीम)

मुख्य अभियन्ता (औ0सं0)

(10)